न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्याः 01 / 2017

प्रार्थी

पोकरराम पुत्र गोपाराम जाति बिश्नोई, निवासी– धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. करनाराम पुत्र गोपाराम ढाका, जाति बिश्नोई धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व पट्टा संख्या 106 मिसल संख्या 54 जो ग्राम पंचायत धवा द्वारा दिनांक 02.12.2004 को जारी किया गया है।

पंचायत निगरानी संख्याः 02 / 2017

प्रार्थी

पोकरराम पुत्र गोपाराम जाति बिश्नोई, निवासी– धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमती समदु देवी पत्नी करनाराम जाति बिश्नोई धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व पट्टा संख्या 107 मिसल संख्या 55 जो ग्राम पंचायत धवा द्वारा दिनांक 02.12.2004 को जारी किया गया है।

उपस्थिति :

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बाबूलाल बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री संग्राम सिंह उपस्थित ।

आदेश दिनांक :–13.09.2018

प्रस्तुत पंचायत निगरानियां अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधियिम विरूद्व पट्टा संख्या 106 मिसल संख्या 54 दिनांक 2.12.2004 व पट्टा

संख्या 107 मिसल संख्या 55 दिनांक 02.12.2004 जो सरपंच ग्राम पंचायत धवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जारी किये गये है। उक्त निगरानियों में कानूनी बिन्दू व तथ्य एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा ये पंचायत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया। इन पंचायत निगरानियों में मूल रेकर्ड पदेन सचिव, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत धवा से प्राप्त किया गया। उक्त निगरानियों में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 05.09.2018 को सुनी जाकर निर्णय हेतु दिनांक 13.09.2018 नियत की गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री बी.एल. बिश्नोई ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत पंचायत निगरानियों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम धवा में प्रार्थी की ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पुश्तैनी कब्जासुदा जायदाद आयी हुई है जिस पर मौके पर बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार जायदाद के तीन हिस्से कर रखे है। एक हिस्सा प्रार्थी का दूसरा हिस्सा अप्रार्थी करनाराम व तीसरा हिस्सा मोहन लाल का है। इस पर पीढ़ियों से प्रार्थी के पूर्वज निवास करते आये है तथा प्रार्थी के भाई जब अलग हुए तो रहवासीय मकान बंटवारा किया गया। जिसके अनुसार तीसरा हिस्सा प्रार्थी के आधिपत्य में कब्जा रहा है और प्रार्थी का मकान बना हुआ है परन्तु अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर अपने नाम 2 पट्टे जारी करवाये है और तीसरा पट्टा अपनी पत्नी के नाम करवा लिया।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर प्रार्थी के पीठ के पीछे बाले–बाले पट्टे जारी करवाये जिसकी जानकारी हाल ही में प्रार्थी को हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी ने ग्राम सेवक से सम्पर्क कर पट्टे की नकल देने का निवेदन किया परन्तु प्रार्थी को नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई। प्रार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया जिस पर प्रार्थी को नकल उपलब्ध करवाई गई और प्रार्थी ने अपने वकील के मार्फत यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी उक्त निगरानियों में जारी पट्टे विधि विरूद्व जारी किये है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा हासिल करने बाबत् कोई आवेदन फीस व नक्शा फीस जमा करवाये बिना ही पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 की पालना नहीं की है। इसी तरह पंचायत राज नियम 1996 के नियम 146 की भी पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई पत्रावली संधारित नहीं कि और न ही मौका निरीक्षण की कमेटी का गठन किया गया और न ही कोई आपत्ति आमंत्रित करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर ग्राम पंचायत को उक्त विवादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी करना ही था तो आवेदनों पर भूमि की खुली बोली आमंत्रित करनी चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त कार्यवाही नहीं की। इसी तरह ग्राम पंचायत ने

पंचायती राज नियम 1996 के नियम 151 की भी पालना नहीं की है। अतः उक्त पंचायत निगरानियों में जारी पट्टा विलेख को निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को यह पंचायत निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने अधिकार बाबत् किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश नहीं की है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के बीच अन्य पुश्तैनी भूमि का बंटवारा हो चुका है। विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील म्याद बाहर लगभग 15 साल बाद पेश की है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों सगे भाई है। प्रार्थी को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा रजिस्टर्ड करवा दिया गया है, जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। उन्होनें आगे यह भी कथन किया कि उक्त जारी पट्टे वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का स्थायी रहवास है तथा पानी बिजली के कनेक्शन लिए हुए है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निगरानियों देरी से प्रस्तुत करने बाबत् न्यायालय का ध्यान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नं 4436/97, 4439/97 निर्णय दिनांक 27.10.1999 व एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नं 670/98 निर्णय दिनांक 08.09.1999, एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नं 1688/83 निर्णय दिनांक 18.02.2000 में हुए निर्णय की ओर दिलाकर निवेदन किया कि उक्त प्रस्तुत पंचायत निगरानी म्याद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

अप्रार्थी संख्या एक के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में कुल पाँच निगरानिया प्रस्तुत की है। उक्त निगरानियों में ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 17, 18, 62, 106 व 107 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई थी। निगरानी विचाराधीन रहते प्रार्थी अभिभाषक ने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि पट्टा विलेख संख्या 17 व 18 जो मोहनराम के नाम जारी किया गया है एवं पट्टा संख्या 62 जो करनाराम के नाम से जारी किया गया। उक्त निगरानी विड्रो कराना चाहते है और पट्टा संख्या 106 व 107 खारिज करने का उल्लेख किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पाँच निगरानियों में से तीन निगरानी 03/2017, 04/2017 व 05/2017 विड्रो करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्वच्छ हाथों से शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी को चाहिए कि वह प्रस्तुत पाँचों निगरानिया विड्रो करें। प्रार्थी ने अपने शपथ–पत्र में यह गलत तथ्य अंकित किया है कि इस विवाद के निपटारे के लिए दिनांक 18.03.2018 को गांव में हमारे कुनबे की पंचायत हुई जबकि इस प्रकार की कोई पंचायत नहीं की गई। पोकरराम, मोहनराम व पुरखाराम

मिलकर षड़यंत्र रच कर करनाराम से रूपये ऐंठना चाहते है तथा बहस में यह भी कहा कि प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय का समय व्यतीत व न्यायालय को गुमराह कर रहे है। अतः प्रार्थी पर उचित कार्यवाही करने व निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

हमनें उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त बैठक कार्यवाही पंजिका वर्ष 2004 का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रस्तुत पंचायत निगरानियों से संबंधित मूल रेकर्ड के संबंध में ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत धवा के पत्र दिनांक 06.12.2017 के द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत धवा में बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 2004 का ही उपलब्ध है और निगरानी संख्या 1–5/2017 से संबंधित जारी पट्टो की मूल पत्रावलियां उपलब्ध नहीं है, मुझे चार्ज में नहीं दी गई है। इस बाबत् दिनांक 08.02.2018 को पदेन सचिव/ग्राम सेवक, धवा ने उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा चाही गई मूल पत्रावलियाँ प्रस्तुत की जिसमें दीमक लगी हुई होने के कारण व जीर्ण अवस्था में होने के कारण पत्रावली पर रखने योग्य नहीं है।

इस प्रकरण यह भी एक तथ्यात्मक स्थिति है कि सरपंच ग्राम पंचायत धवा ने अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा विलेख प्ररूप 23 (नियम 167(1)) के तहत जारी किये। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.11.2004 की बैठक कार्यवाही के पैरा संख्या 12 व 13 में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी को पट्टा विलेख जारी किया है।

उक्त प्रकरण में कुल 5 निगरानी क्रमशः 01/17, 02/17, 03/2017, 04/2017 तथा 05/2017 प्रार्थी पोकरराम द्वारा अपने भाईयों तथा भाई की पत्नी के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। पाँच निगरानियो में निगरानी संख्या 03/2017, 04/2017 व 05/2017 को विड्रो करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत, धवा द्वारा पट्टे निम्नानुसार जारी किये गये।

1. पट्टा संख्या 106 – दिनांक 02.12.2004 – करनाराम पुत्र गोपाराम विश्नाई – 4256 वर्गफीट – 2365 रूपये।
2. पट्टा संख्या 107 – दिनांक 02.12.2004 – समदुदेवी पत्नी करनाराम विश्नोई – 3870 वर्गफीट – 2150 रूपये।

पट्टा संख्या 106 व 107 ग्राम पंचायत, धवा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) व 158 (2) के तहत तथा 2365 व 2150 राशि जमा कर दिनांक 02.12.2004 को जारी किया गया।

वर्ष 2004 में नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत को 150 वर्गगज भूमि तक का पट्टे जारी करने का अधिकार था तथा उस वक्त प्रार्थीगण से 5 रूपये प्रति वर्गमीटर की राशि वसूल की गयी। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि

पट्टा संख्या 106 व 107 नियम 158(4) के तहत बाजार मूल्य वसूल कर जारी किया गया हो।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 158(1) के प्रावधानों के विपरीत 150 वर्गगज की अधिकतम सीमा के विरूद्ध 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, धवा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में अप्रार्थी संख्या एक करनाराम पुत्र गोपाराम जाति विश्नोई को जारी पट्टा संख्या 106 जो दिनांक 02.12.2004 को जारी किया गया एवं प्रकरण संख्या 02/2017 में अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती समदुदेवी पत्नी करनाराम जाति विश्नोई को जारी पट्टा संख्या 107 जो दिनांक 02.12.2004 को जारी किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर